पत्रांक–5 / न०सु०(विविध)–06 / 2026 / न०वि०आ०88.....

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

स्वीकृत्यादेश

नौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

सुनील कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

OSP
नागरिक सुविधा

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
महालेखाकार का कार्यालय
पो०–डोरण्डा, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार

राँची, दिनांक– 15/10/26

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में रामगढ़ नगर परिषद अन्तर्गत शहरी नागरिकों को बेहत्तर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं आवश्यक संसाधनों की खरीद एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुल राशि 2,25,00,000/- रूपये (दो करोड़ पच्चीस लाख रू०) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ नगर परिषद के पत्रांक–2734 दिनांक–14.10.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में रामगढ़ नगर परिषद अन्तर्गत शहरी नागरिकों को बेहत्तर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं आवश्यक संसाधनों की खरीद एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुल राशि 2,25,00,000/- रूपये (दो करोड़ पच्चीस लाख रू०) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–01–शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक / विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-191-34-01-06-79 से विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी रामगढ़, कोषागार से की जायेगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

5. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक 113 / त०को० दिनांक–21.10.2021 द्वारा विभिन्न योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समयावधि निर्धारित की गयी है, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3468 दिनांक 08.11.2021 द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में योजना पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

7. उक्त योजना का कार्यान्वयन रामगढ़ नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। रामगढ़ नगर परिषद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशासनिक स्वीकृत योजना का खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी निविदा के माध्यम से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वयन गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उक्त योजना का कार्यान्वयन की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को हर माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15.10.26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/न०सु०(विविध)–06/2026/न०वि०आ० 88 राँची, दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ़ नगर परिषद/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ कोषागार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15-10-26

सरकार के प्रधान सचिव।